सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण एवं निगरानी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 'क' के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, अनुच्छेद 338 में संशोधन (89 वां संशोधन) अधिनियम 2003 के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 'क' जोड़कर दिनांक 19 फरवरी, 2004 को की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि अथवा सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों का कार्यान्वयन और ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एकउपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) शामिल हैं।

श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दिनांक 30.08.2024 को आयोजित एनसीएसटी की टीम द्वारा झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा

2. वर्तमान आयोग की संरचना (7वां आयोग)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	अध्यक्ष	13.03.2024
2.	(रिक्त)	उपाध्यक्ष	-
3.	डॉ. आशा लकड़ा	सदस्य	12.03.2024
4.	श्री निरुपम चाकमा	सदस्य	14.03.2024
5.	श्री जाटोतु हुसेन	सदस्य	14.03.2024

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन (03) वर्षों की है। अध्यक्ष को संघ के मंत्रिमंडल के मंत्री का रैंक दिया गया है, और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री तथा अन्य सदस्य को सचिव, भारत सरकार का रैंक दिया गया है।

श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष	**श्री निरुपम चाकमा, माननीय सदस्य**	**श्री जाटोतु हुसेन, माननीय सदस्य**	**डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य**

3. आयोग का कर्तव्य और कार्य

अनुच्छेद 338क के खंड (5) के तहत भारत के संविधान ने आयोग को निम्नलिखित कर्तव्य और कार्य सौंपे हैं:-

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबन्धित सुरक्षणों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में, जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना; और

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गी किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दिनांक 09.01.2025 एनसीएसटी की टीम द्वारा महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338क के खंड (5) के उप-खंड (च) **द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक** 23.08.2005 **के अधिसूचना द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं,** अर्थात;

(क) **वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पादों के संबंध में स्वामित्व प्रदान करने के लिए** आवश्यक उपाय करना;

(ख) **विधि द्वारा यथा निर्धारित खनिज संसाधनों,** जल संसाधनों आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों के सुरक्षण के लिए उपाय करना;

(ग) **जनजातीय व्यक्तियों के विकास के मार्ग में आने वाली** कमियों को दूर करने तथा अधिक ठोस आजीविका **नीतियों पर कार्य करने के लिए उपाय करना;**

(घ) **विकासात्मक परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए सहायता एवं पुनर्वास उपायों की प्रभावशीलता को सुधारने के लिए उपाय करना;**

(ङ) **जनजातीय लोगों को भूमि से हस्तांतरित करने से रोकने और उन लोगों के मामले में प्रभावी पुनर्वास करना जिनके हस्तांतरित के मामले पहले ही हो चुके हैं,** के लिए उपाय करना;

(च) **वनों को संरक्षित करना एवं सामाजिक वनीकरण करने के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त करने एवं** जनजातीय स**मुदायों को इसमें संलग्न करने के लिए उपाय करना;**

(छ) पंचायत (**अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार**) अधिनियम 1996 **के प्रावधानों को पूर्ण रुप से लागू करना सुनिश्चित** करने के लिए उपाय करना;

(ज) जनजातीय लोगों द्वारा झूम-**कृषि की परम्परा को कम करने और अंत में इसका उन्मूलन करने के लिए उपाय करना जिसने उन्हें लगातार कमजोर किया है और भूमि तथा पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है।**

श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, एनसीएसटी माननीय सदस्यों और एनसीएसटी के अधिकारियों के साथ आयोग की 155 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

4. आयोग की शक्तियां

खंड 5 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या उप-कंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां प्राप्त होगीं, जो किसी मुकदमें के लिए प्राप्त होती हैं और विशेषकर निम्नलिखित मामलों में, अर्थात;

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना,
(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,
(ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना,
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना,
(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन/पत्राचार जारी करना, और
(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें।

5. आयोग के साथ संघ और राज्य सरकारों द्वारा परामर्श:-

संविधान के अनुच्छेद 338क की खंड (9) के अनुसार, प्रत्येक संघ तथा राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करेगा।

6. निगरानी:

आयोग संविधान के तहत प्रदान किए गए सुरक्षणों से संबंधित मामलों की जांच करते समय सुरक्षणों के कार्यान्वयन और कामकाज की निगरानी करता है, जिसमें शामिल है:

(क) अनुसूचित जनजाति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 23 पर कार्रवाई करना जो मानव तस्करी और जबरन श्रम आदि पर रोक लगाता है।
(ख) अनुसूचित जनजाति के संबंध में अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध।
(ग) शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 (4) के तहत शैक्षिक सुरक्षण।
(घ) अनुच्छेद 244 के तहत आर्थिक सुरक्षणों, पांचवी और छठी अनुसूचियों के कार्य र जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को उठाने के लिए अनुदान जारी करना।
(ङ) अनुच्छेद 29 (i) के तहत अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति का सुरक्षण,
(च) अनुच्छेद 16 (4), 16 (4) (क), और 335 के तहत नियुक्तियों या पदों में अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए प्रदान किए गए सेवा सुरक्षणों का कार्य करना।
(छ) विभिन्न कानूनों का प्रवर्तन जैसे;
  क. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
  ख. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)
  ग. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)
  घ. अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि का हस्तांतरण एवं पुनःस्थापन संबंधित राज्य अधिनियम तथा विनियमन
  ङ. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)
  च. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
  छ. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)

7. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

अनुच्छेद 338क के खंड 5 (घ) में आयोग को "उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रतिविर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना" और खंड 5 (ङ) में प्रावधान हे कि, "ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना"

अनुच्छेद 338क का खंड (6) प्रावधान है कि, "राष्ट्रपति ऐसी रिपोर्टों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ एवं सी सिफारिशों को अस्वीकार करने के कारणों के साथ यदि कोई है, संसद के प्रत्येक सदन में रखवायेंगे"

अनुच्छेद 338क के खंड (7) में प्रावधान है कि, "जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी भी राज्य सरकारके किसी मामले से संबंधित है, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसे किसी भी सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों यदि कोई हो, को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।.

8. एनसीएसटी में शिकायतों की जांच और समाधान

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) केंद्रित एवं प्रभावी **समाधान सुनिश्चित करने** हेतु विशिष्ट चार अनुसंधान **एककों के माध्यम से शिकायतों की जांच करता है।**

9. शिकायत दर्ज करना

कोई भी पीड़ित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति www.ncstgrams.gov.in **पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर** एनसीएसटी से संपर्क कर सकता है।

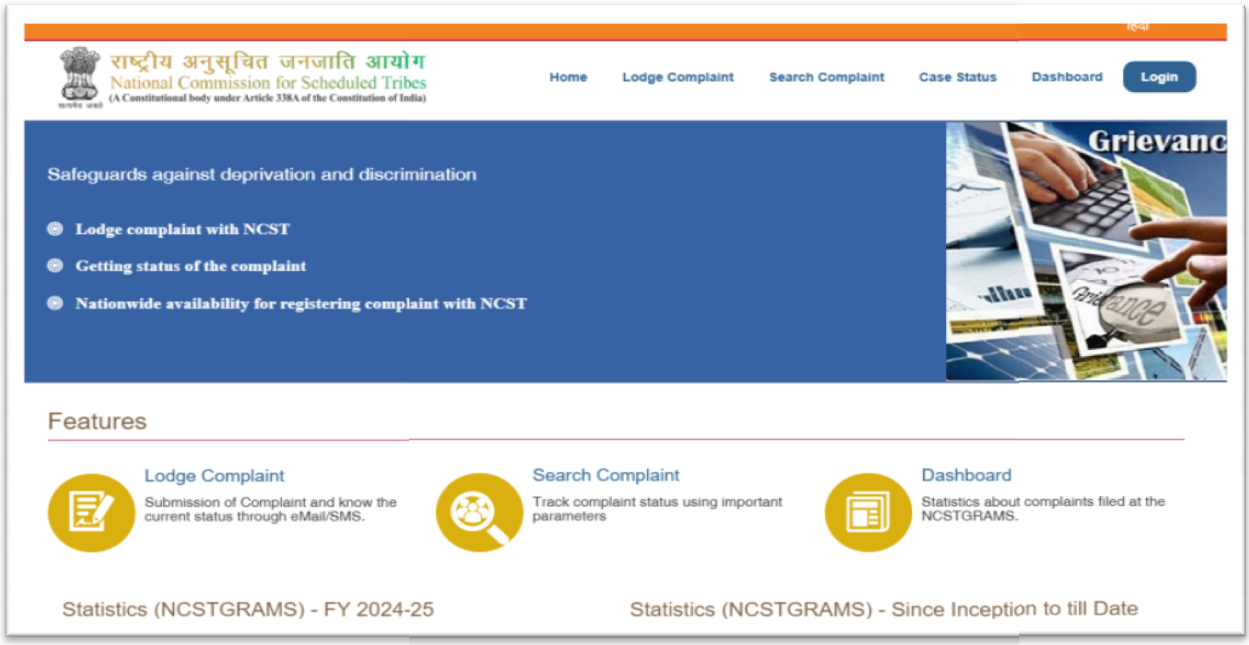

माननीय अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से-

- अध्यक्ष – chairperson@ncst.nic.in
- सदस्य (एनसी) – member-nc@ncst.nic.in
- सदस्य (एएल) – member-al@ncst.nic.in
- सदस्य (जेएच) – jatothu.hussain@ncst.nic.in
- सचिव, एनसीएसटी – secy@ncst.nic.in.

पंजीकृत डाक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर शिकायत दर्ज करें-

अध्यक्ष/सदस्य/सचिव
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (**मुख्यालय**)
छठा तल, बी विंग, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली- 110003

फोटोग्राफ

- **आयोग द्वारा जिला / पीएसई की समीक्षा**

- **अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक**

***

संपर्क करें - मुख्यालय

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	कमरा सं.
1.	**श्री अंतर सिंह आर्य**	अध्यक्ष	दूरभाष : 24635721	601
2.	श्री राजीव सक्सेना	अध्यक्ष के निजी सचिव	दूरभाष : 24635721	621A
3.	**श्री निरुपम चाकमा**	सदस्य	दूरभाष : 24657373	607
4.	श्री गौरव कुमार	सदस्य के निजी सचिव	दूरभाष : 24657373	614
5.	**डॉ. आशा लकड़ा**	सदस्य	दूरभाष : 24623958	603
6.	श्री कुशेश्वर साहू	सदस्य के निजी सचिव	दूरभाष : 24623958	620 A
7.	**श्री जाटोतु हुसेन**	सदस्य	दूरभाष : 24646954	609
8.	श्री अशोक कुमार लक्कार्सु	सदस्य के निजी सचिव	दूरभाष : 24646954	619A
9.	**श्री पुनीत कुमार गोयल**	सचिव	दूरभाष : 24635625	602
10.	**श्री अमित निर्मल**	संयुक्त सचिव	दूरभाष : 24603669	610
11.	श्री सूरत सिंह	निदेशक (प्रशा. एवं आरयू-IV)	दूरभाष : 24615012	2nd Floor
12.	डॉ. पी. कल्यान रेड्डी	निदेशक (आरयू-III)	दूरभाष : 20819841	2nd Floor
13.	श्री राकेश कुमार दुबे	उप निदेशक (समन्वय, डीडीओ एवं आरयू-I)	दूरभाष : 20819839	210
14.	श्री प्रवीण कुमार सिंह	अवर सचिव (स्था. एवं प्रशा.)	दूरभाष : 24657271	2nd Floor
15.	श्री राम जन्म चौधरी	सहायक निदेशक (रा.भा.)	दूरभाष : 24601346	2nd Floor
16.	श्री हरि राम मीना	अनुसंधान अधिकारी (आरयू-III एवं आरयू-IV)	दूरभाष: 24615012	2nd Floor

:: पता ::

"बी" विंग, छठा तल,
लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली – 110003
वेबसाइट : www.ncst.nic.in
शिकायत के लिए: www.ncstgram.gov.in

संपर्क करें – क्षेत्रीय कार्यालय

(एनसीएसटी के क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं अधिकार क्षेत्र)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय (आर.ओ.): स्थान एवं पता	प्रभारी अधिकारी का पदनाम	क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकार क्षेत्र
1	**भोपाल:** कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 52-ए, एरिया हिल्स, भोपाल -462011	**श्री आर. के. दुबे,** उप निदेशक, दूरभाष: 0755-2576530	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप।
2	**भुवनेश्वर:** एन-1/297, आईआरसी गांव, भुवनेश्वर-751015	**श्री पी. कल्याण रेड्डी,** निदेशक दूरभाष: 0674-2551616	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पुडुचेरी।
3	**जयपुर:** कमरा नंबर 101 एवं 102, पहली मंजिल, ब्लॉक-ए, केंद्रीय सदन सेक्टर -10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023	**श्री अंकित कुमार सेन,** अनुसंधान अधिकारी दूरभाष: 0141-2236462	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख।
4	**रायपुर:** ईएसी कॉलोनी प्लॉट नंबर 3/16, पहली मंजिल, जिला न्यायालय के पीछे, पूर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर- 492001	**श्री पी. के. दास,** अनुसंधान अधिकारी दूरभाष: 0771-2443334	छत्तीसगढ़।
5	**रांची:** 14, न्यू एजी को-ऑपरेटिव कॉलोनी, कदरु, रांची- 834002	**श्री पी. के. दास,** अनुसंधान अधिकारी दूरभाष: 0651-2341677	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश।
6	**शिलांग:** रबेका विला, टेम्पल रोड, लोअर लाचुमियर, शिलांग- 793001	**श्री पी. कल्याण रेड्डी,** निदेशक दूरभाष: 0364-2504202	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

"बी" विंग, छठा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003
वेबसाइट : www.ncst.nic.in
शिकायत के लिए: www.ncstgram.gov.in
टोल फ्री नंबर – 1800-117777

***